कार्यालय – वन प्रंमडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, वन भवन, हजारीबाग

झारखण्ड सरकार

☎ 06546-222339, Fax no.06546-222339, Email- dfo.hazaribaghwest@rediffmail.com

पत्रांक :   दिनांक:

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल,
हजारीबाग।

विषयः– मेसर्स रामचन्द्र मेहता, कैप्टन आनन्द अर्पणा देवी द्वारा करमा स्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट हेतु 14.17 हे0 वनभूमि के अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :– क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग का ज्ञापांक 548 दिनांक 0603.2017, आपका कार्यालय पत्रांक 604 दिनांक 07.03.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर चार बिन्दुओं पर पृच्छा करते हुए प्रस्ताव वापस किया गया था। पृच्छाओं के निराकरण के कम में प्रयोक्ता अभिकरण ने अपने पत्र दिनांक 18.03.2017 एवं वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गढवा उत्तरी वन प्रमण्डल के पत्रांक 1366 दिनांक 29.03.2017 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में चार बिन्दुओं पर की गई पृच्छाओं के निराकरण की स्थिति निम्नवत् दी जा रही है :–

क0 सं0	पृच्छा	पृच्छा का निराकरण
1	जिला खनन पदाधिकारी के ज्ञापांक 13 दिनांक 04.01.2016 द्वारा खनन पट्टा के स्वीकृति के पूर्व 16 शर्त्तों का उल्लेख किया गया है। जिसमें शर्त्त संख्या –01 में पर्यावरणीय स्वीकृति (Environment Clearance) का प्रमाण पत्र दाखिल करने हेतु प्रयोक्ता संस्थान को निदेशित किया गया है, जिस प्रस्ताव के साथ संलग्न नही है।	पृच्छा के आलोक में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचित किया गया है कि "Stage I clearance of forest land is the pre-requisite document to obtain environmental clearance from SEIAA, Jharkhand. Therefore, application for environmental clearance shall be submitted to SEIAA, Jharkhand after obtaining stage- I clearance.

2	विषयक प्रस्ताव पत्थर खनन से संबंधित है। उपायुक्त, हजारीबाग द्वारा निर्गत FRA प्रमाण पत्र का Annexue –I एवं Annexue –II दोनों निर्गत किया गया है, जो विरोधाभाष उत्पन्न करता है।	विषयगत प्रस्ताव में समर्पित Land use as per forest land schedule के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 13.94 हे0 क्षेत्र में खनन किया जायगा (जिसमें 1.60 हे0 सेफटी जोन क्षेत्र सम्मिलित है) तथा 0.23 हे0 में पहुँच पथ का निर्माण किया जायगा। सम्भवतः इस कारणवश उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक 1456 दिनांक 24.09.2016 द्वारा वनाधिकार अधिनियम 2006 अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र यथा प्रपत्र II (for non linear projects like mining) एवं प्रपत्र I (for linear projects like construction of Approach road) में निर्गत किया गया है।
3	FRA के ग्राम सभा की कार्यवाही की प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न नही है, जिसमें जिला वनाधिकार समिति के सभी पदाधिकारी/सदस्यों का हस्ताक्षर अंकित हो।	उक्त पृच्छा के निराकरण के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दिनांक 11.08.2016 को सम्पन्न जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक की कार्यवाही की प्रति समर्पित की गई है, जिसमें उपस्थित पदाधिकारियों की उपस्थिति पंजी की छायाप्रति भी संलग्न है, जो स्वतः स्पष्ट है। जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक की कार्यवाही, उपस्थित पंजी सहित प्रस्ताव के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है।

4	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गढवा उत्तरी वन प्रमण्डल के ज्ञापांक 1357 दिनांक 13.04.2016 से यह स्पष्ट नही है कि अतिक्रमण रहित है या नही।	इस संबंध में प्रतिवेदन की मांग वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गढवा उत्तरी वन प्रमण्डल से इस कार्यालय के पत्रांक 1407 दिनांक 22.03.2017 द्वारा की गई। वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गढवा उत्तरी वन प्रमण्डल के पत्रांक 1366 दिनांक 29.03.2017 द्वारा सूचित किया गया है कि क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित गैर वनभूमि वर्त्तमान में अतिक्रमण से मुक्त है। वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गढवा उत्तरी वन प्रमण्डल का पत्रांक 1366 दिनांक 29.03.2017 की छायाप्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

अतः प्रसांगिक पत्रों द्वारा किये गये पृच्छाओं के अनुपालनार्थ समर्पित निराकरण प्रतिवेदन को प्रस्ताव में सम्मिलित कर मूल प्रस्ताव आठ–आठ प्रतियों में इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि इस कार्यालय के पत्रांक 596 दिनांक 06.02.2017 द्वारा अग्रसारित प्रस्ताव के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

आपका विश्वासी,

अनुलग्नक – यथोक्त।

ह0/–
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी प्रमण्डल।

ज्ञापांक :–   दिनांक :–

प्रतिलिपि– क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग को उनके ज्ञापांक 548 दिनांक 06.03.2017 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल

ज्ञापांक :– 1678 दिनांक :– 10/4/17

प्रतिलिपि– श्री रामचन्द्र मेहता, मेसर्स रामचन्द्र मेहता, कैप्टन आनन्द अर्पणा देवी, ग्राम –बिगहा, पो0–फुलबेरिया, थाना– नवलसराई, जिला– कोडरमा, झारखण्ड, पिन– 825418 को उनके पत्र दिनांक 18.03.2017 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/– 10/4/17

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल
ह0/– 10/4/17